न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 26/2023(GCMS 2023/18 7)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन **इकाई, हनुमानगढ,** पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **जगतार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह**
2. **रेशम सिंह** पुत्र इन्द्र सिंह
3. **दिलावर सिंह** पुत्र आत्म सिंह
4. **मोहन सिंह** पुत्र आत्म सिंह

जाति जटसिख समस्त निवासीगण 5 वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

5. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)** एवं उपखण्ड अधिकारी, तहसील– व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.01.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगगानगर ने चक ग्राम 5 वाई के खसरा नम्बर 2/1 से 4, 7, 8, 10, 13 व 14 की अवाप्त भूमि पर स्थित किन्नू के वृक्षों के संबंध में अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को अपने मन–मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विधि के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ पारित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवाप्त भूमि पर स्थित फलदार पेड़ पौधों का मूल्यांकन करने के लिए सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दिनांक 02.07.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मुरब्बा नम्बर 2 के बीघा [illegible] 1, 2, 3, 4 [illegible] 10, 13 व 14 की अवाप्त भूमि पर स्थित किन्नू के पौधों [illegible] की गई, जिसमें कमेटी ने कुल 12 पौधों की [illegible] मुआवजा राशि की सि[illegible]यार की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट को आधार मानकर अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त भूमि पर स्थित अवसंरचनाओं/परिसम्पतियों की मुआवजा राशि का निर्धारण कर आलोच्य अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को पारित कर दिया, जो कि अनुचित एवं अवैध है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान–श्रीगंगानगर द्वारा भाराराप्रा की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील सूरतगढ़ में किन्नू के पौधें की मूल्यांकन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त पौधों के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर 06 वर्ष के किन्नू के 01 पौधें की मूल्यांकित राशि 14220/– निर्धारित कर अपने पत्रांक 362 दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, सूरतगढ़ को भिजवायी गयी थी, जबकि हस्तगत प्रकरण में सहायक निदेशक, उद्यान–श्रीगंगानगर द्वारा मनमुताबिक तरीके से अप्रार्थी खातेदारों से मिलीभगत कर राजकोष को हानि पहुंचाने की चेष्टा रखते हुए किन्नू के पौधों की उपज को होने वाले नुकसान के स्थान पर संभावित शेष आयु को आधार मानते हुये मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसके आधार पर अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी ने उक्त आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया, जो कि संशोधित किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान–हनुमानगढ ने पौधों की कुल आयु 25 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि सहायक निदेशक, उद्यान–श्रीगंगानगर ने प्रश्नगत किन्नू के पौधौं की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है। हनुमानगढ व श्रीगंगानगर जिले की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण, कृषि पैदावार/उत्पादन एक समान होने के बावजूद श्रीगंगानगर में किन्नू के प्रश्नगत पौधों की आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारण करना सरासर अनुचित एवं अवैध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि कृषक अपनी भूमि में लगे किन्नू के पौधों की देखरेख करने, पौधों को खाद/दवाई/पानी देने, मजदूर लगाकर फलों को तोड़ने, पैकिंग करने, परिवहन आदि के संबंध में व्यय/राशि खर्च करता है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी खातेदार को खेत में लगे किन्नू के पौधों का भविष्य में संभावित लागत/खर्च/व्यय को बिना घटाये/कम किये सहायक निदेशक उद्यान ने अपने मनमुताबिक तरीके से संभावित शेष आयु को आधार बनाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जबकि अप्रार्थी खातेदार की भूमि पर लगे किन्नू के वृक्षों को वर्तमान में ही अवाप्त हो जाने से भविष्य में कोई खर्च ही नहीं हुआ और ना ही कोई खर्च होने का प्रश्न उठता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि हस्तगत प्रकरण में कृषक के खेत में से अवाप्त फलदार किन्नू के पौधों का मूल्यांकन तरीके से बाजार दर के आधार पर किया है, जबकि वास्तविक रूप से यदि उक्त प्रश्नगत पौधों को खेत से खरीद किया जाता तो कृषक को बाजार दर प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बाजार दर प्राप्त करने उपरोक्त व्यय/राशि कृषक को खर्च करनी होती है, परन्तु फिर भी सहायक निदेशक उद्यान ने उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर प्रार्थी को हानि पहुँचाने की चेष्टा रखते हुए मनमुताबिक तरीके से प्रश्नगत किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी जाँच के आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया जो कि संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक, उद्यान–श्रीगंगानगर को अवाप्त भूमि पर लगे प्रत्येक किन्नू के पौधों की उत्पादन क्षमता/उर्वरकता, वृद्धि, स्थिति व रखरखाव को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, क्योंकि बाग में लगे समस्त पौधों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में से कई पौधों की फल उत्पादन की क्षमता कम होती है एवं कई पौधों की फल ही नहीं लगते तथा कई पौधे नष्ट हो जाते है, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान ने बिना किसी जांच के अवाप्ति में आये बाग में लगे समस्त पौधों की फल देने की उत्पादन क्षमता एक समान मानते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसको आधार मानते हुए उक्त आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया, जो कि अनुचित होने के कारण संशोधित किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान राज्य में पेड़—पौधों की आयु निर्धारण के संबंध में अंतिम रूप से कोई दिशा—निर्देश व कोई पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर मनमुताबिक तरीके से बिना किसी आधार के पेड़—पौधों की आयु निर्धारित कर दी जाती है। राजस्थान राज्य से लगते हुए अन्य राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पौधें की स्थिति, वृद्धि, किस्म, उत्पादन क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुये मूल्यांकन किया जाता है

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि अवाप्ति के बदले में दी जाने वाली मुआवजा राशि पब्लिक एक्सचेकर की राशि को माध्यम से दी जाती है, यह धन जनहित से जुड़ा होने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आलोच्य अवार्ड संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसील श्रीगंगानगर ग्राम 05 वाई के मुरब्बा नम्बर 02 के बीघा नं. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13 व 14 की अवाप्त भूमि पर स्थित किन्नू के पौधों के [illegible] में सहायक निदेशक, उद्यान— श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा तैयार रिपोर्ट एवं संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पारित अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को निरस्त कर प्रश्नगत किन्नू के प्रत्येक पौधे पर भविष्य में होने वाली संभावित लागत/खर्चे एवं आयु को कम कर अवाप्ति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

समय प्रश्नगत प्रत्येक किन्नू के पौधे की स्थिति, किस्म, वृद्धि, उत्पादन क्षमता व आयु के आधार पर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1 से 4, 7, 8, 10, 13 व 14 में किन्नू के पौधों के बारे में दिनांक 22.04.2022 को पारित अवार्ड विधि के अन्तर्गत पारित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 में मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 से 4, 7, 8, 10, 13 व 14 पौधों की आयु 10 वर्ष मानी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टैक्नीकल बेस पर अवार्ड दिनांक 22.04.2022 पारित किया गया है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण के किन्नू के पौधों का निर्धारण बिल्कुल सही किया गया है। अप्रार्थीगण ने किला नम्बर 1 में टाली गई हुई थी, टाली के पेड़ के मुआवजे का कोई निर्धारण नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने जो अवार्ड पारित किया है, वह विधि अनुसार पारित किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 के समय अप्रार्थीगण की अवाप्त की भूमि पर 12 पौधे थे, जिसका 2021 में सहायक निदेशक उद्यान द्वारा मौका देखा गया, मौके पर जाकर जयपुर की टीम ने सर्वेक्षण किया और जांच करके रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट के आधार परा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अवार्ड पारित किया गया है। अतः चक 5 वाई के खसरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि से सम्बन्धित अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को विधि सम्मत मानते हुए प्रार्थी की याचिका खारिज करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थी राजेश कमल की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी जगतार सिंह, रेशम सिंह, दिलावर सिह एवं मोहन सिंह की भूमि ग्राम 5 वाई के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 से 4, 7, 8, 10, 13 व 14 अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है। सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 22.04.2022 को निरस्त कर, प्रत्येक पौधे पर भविष्य में होने वाली संभावित लागत/खर्च एवं आयु को कम कर, किन्नू के पौधे की स्थिति, किस्म, वृद्धि, उत्पादन क्षमता व आयु के आधार पर संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अवाप्ताधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड द्वारा जो मुआवजा राशि तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवाप्तधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को जारी किया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022, सहायक निदेशक उद्यान – श्रीगंगानगर की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी जगतार सिंह वगै. की मुआवजा राशि 6,23,[illegible]/– का निर्धारण किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rall
Date: 2024.01.23 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी को 100 प्रतिशत तोषण राशि भी दी गई है।

किन्नू के पौधों की उम्र के सम्बन्ध में उप निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट चाहे जाने पर, उप निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 03.10.2023 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की है:

> उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत निवेदन है कि भारतमाला परियोजना अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों में अंकित पौधें की कुल आयु के सम्बन्ध में चाही गई रिपोर्ट निम्नुसार है :
>
> श्रीगंगानगर जिले का किन्नू विश्वप्रसिद्ध है तथा यहां के किन्नू के बगीचों में 35–40 वर्ष की उम्र के उपरान्त भी किन्नू के भरपूर उत्पादन की स्थिति में है। इस हेतु डॉ. एम.के.कौल (जिन्हें श्रीगंगानगर जिले में फादर ऑफ किन्नू के नाम से जाना जाता है), सेवानिवृत प्रोफेसर उद्यान पूर्व निदेशक अनुसंधान, स्वामी केशवरानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा भी उनकी आयु के सम्बन्ध में पत्राचार किया गया था, डॉ कॉल द्वारा भी उक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए किन्नू की उम्र 30735 वर्ष तथा उत्पादन 125–150 किलोग्राम प्रति वृक्ष अपनी रिपोर्ट में दर्शाया गया है।
>
> -sd-
> उप निदेशक उद्यान
> श्रीगंगानगर

सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड जारी किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ के अधिवक्ता ने किन्नू के पौधों की उम्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोई कानून/प्रपत्र/नियम/आदेश पेश नहीं किये है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा किन्नू के पौधें की औसत आयु के सम्बन्ध में कोई में हस्तक्षेप किया जा सके। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवाप्ताधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड दिनांक 22.04.2022 जगतार सिंह, रेशम सिंह, दिलावर सिंह एवं मोहन सिंह की हद तक पुष्ट किया जाता है

अतः उक्त विवेचन अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अन्य कोई आवेदन पत्र लम्बित हो तो वह भी खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:26 IST
Reason: SelfAttested